Received by Vurd Kumu On 2/6/21

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कटौती करते हुए एस0टी0पी0 संचालन एवं रखरखाव आदि के लिये गठित राज्य स्तरीय निधि एवं वन सिटी वन आपरेटर के अंतर्गत एस0टी0पी0 तथा इससे सम्बंधित मेन पियंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पियंग स्टेशन, सीवरेज पियंग स्टेशन, नाला—टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख—रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य की समीक्षा के संबंध में सम्पन्न बैठक दिनांक 26.03.2021 का कार्यवृत्तः—

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2. बैठक में अवगत कराया गया है कि नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-849 / नौ-9-19-89ज / 2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मूल बजट रू0 410.00 करोड़ (एस०टी०पी० संचालन एवं रखरखाय- रू० 250.00 करोड़, डब्लू०टी०पी का संचालन एवं रखरखाव- रू० 100.00 करोड़, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लाण्ट के संचालन एवं रखरखाव- रू० 50.00 करोड़ एवं निराश्रित श्वानों के वन्ध्याकरण हेतु एनिमल बर्थ कंट्रोल ब्रॉजना- रू० 10.00 करोड) एवं शासनादेश संख्या-2748/नौ-9-20-89ज/2001, दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट रू० 460.00 करोड़ प्रतिवर्ष, (एस०टी०पी० संचालन एवं रखरखाव- रू० 350.00 करोड़, डब्लू०टी०पी का संचालन एवं रखरखाव- रू० 100.00 करोड़ एवं निराश्रित श्वानों के वन्ध्याकरण हेतु एनिमल बर्ध कंट्रोल योजना- रू0 10.00 करोड़) की व्यवस्था की गयी है। राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कटौती करते हुए एस०टी०पी० संचालन एवं रखरखाव, डब्लू०टी०पी का संचालन एवं रखरखाव एवं निराश्रित श्वानों के वन्ध्याकरण हेतु एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना आदि के लिये राज्य स्तरीय निधि गठित की गयी है। वन-सिटी वन-आपरेटर के अंतर्गत एस०टी०पी० तथा इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, क्ति. नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (पैकेज-4 लखनऊ जोन, पैकेज-6 ागरा जोन, पैकेज-8 गाजियाबाद जोन, पैकेज-5 गोरखपुर जोन) हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-2319 / नौ-5-2019-394सा / 2018 दिनांक 11.06.2019 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तदनुसार सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। उ०प्र० जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की गयी है:--

 1
 प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन
 अध्यक्ष

 2
 प्रबन्ध नृदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ
 सदस्य

 3
 निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ
 सदस्य

 4
 सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 सदस्य

 5
 उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ
 सर्दस्य

 6
 श्री आर के चौधरी मख्य अभियन्ता जलार प्रदेश प्रात्मक (केन्द्रीयत) सदस्य-स्वित

AD(colon)/ CE OMENCELA

pr/

18.5.2021

- 3. अपर मुख्य सचिव महोदय की अनुमित से सर्वप्रथम श्री उपेन्द्र तिवारी, सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ द्वारा नगर विकास अनुभाग—9 के शासनादेश 18 जुलाई, 2019 द्वारा मूल बजट रू० 410.00 करोड़ एवं शासनादेश दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट रू० 460.00 करोड़ प्रतिवर्ष, (एस०टी०पी० संचालन एवं रखरखाव— रू० 350.00 करोड़, डब्लू०टी०पी का संचालन एवं रखरखाव— रू० 100.00 करोड़ एवं निराश्रित श्वानों के वन्ध्याकरण हेतु एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना— रू० 10.00 करोड़) हेतु आवंटित बजट का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। सहायक निदेशक (लेखा) द्वारा अवगत कराया गया कि एस०टी०पी० के संचालन एवं रखरखाव मद में रू० 313.93 करोड़ के सापेक्ष रू० 354.87 करोड़, डब्लू०टी०पी का संचालन एवं रखरखाव मद में रू० 83.33 करोड़ के सापेक्ष रू० 11.01 करोड़, निराश्रित श्वानों के बन्ध्याकरण हेतु एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना मद में रू० 8.33 करोड़ के सापेक्ष रू० 1.50 करोड़ एवं एस०डब्लू०एम० के संचालन एवं रखरखाव मद में रू० 4.16 करोड़ के सापेक्ष रू० 4.16 करोड़ धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020—21 में किया गया। सकल अवशेष धनराशि रू० 38.22 करोड़ को नगरीय निकायों में आवंटित की गयी हैं।
- मुख्य अभियंता (ओ०एम०एण्डएम० सेल) नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा वन-सिटी वन-आपरेटर के अंतर्गत एस०टी०पी० तथा इससे सम्बंधित मेन पिम्पंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (पैकेज-4 लखनऊ जोन, पैकेज-6 आगरा जोन, पैकेज-8 गाजियाबाद जोन, पैकेज-5 गोरखपुर जोन) के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया। यह अवगत कराया गया कि प्रदेश में 104 एस०टी०पी० (कुल क्षमता 3298.84 एम०एल० डी०) स्थापित हैं जिसमें 67 एस०टी०पी० उ०प्र० जल निगम द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। उ०प्र० जल निगम द्वारा संचालित 67 एस०टी०पी० में 29 एस०टी०पी० वन-सिटी वन-आपरेटर के अंतर्गत लखनऊ जोन (03 एस०टी०पी०), आगरा जोन (०७ एस०टी०पी०), गोरखपुर जोन (०४ एस०टी०पी०) एवं गाजियाबाद जोन (15 एस०टी०पी०) सम्मिलित हैं। वन-सिटी वन-आपरेटर के अंतर्गत नवंबर / दिसंबर 2019 से फर्मों द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। फर्मों द्वारा एस०टी०पी०, इससे जुड़े मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क का अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबन्धन कार्य किया जा रहा है। वन-सिटी वन-आपरेटर के अंतर्गत एस०टी०पी० के संचालन एवं रखरखाव मद में रू0 31.45 करोड (वित्तीय वर्ष 2019-20) एवं रू० 176.24 करोड (वित्तीय वर्ष 2020-21) तथा विद्युत पर रू० 18.09 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2020-21) का व्यय हुआ है। लखनऊ जोन, आगरा जोन, गाजियाबाद जोन के नवंबर 2020 एवं गोरखपुर जोन का दिसंबर 2020 (Adhoc) पेमेन्ट सर्टीफिकेट/बिलों का सेटलमेन्ट किया जा चुका है। जल निगम द्वारा प्रेषित / प्रमार्णित पेमेन्ट सर्टीफिकेट / बिल, लखनऊ जोन, आगरा जोन है दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 तथा गाजियाबाद जोन के दिसंबर 2020 एवं गोरखपुर जोन(अयोध्या) के सितम्बर 2020 से दिसंबर 2020 (Adhoc) के संबंध में अवगत काया गया। अनुबन्ध के तहत उक्त चारों जोन में रू० 7 करोड़ प्रतिवर्ष मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष कार्य

में प्रति माह समान किश्तों में धनराशि जमा की जानी है जो फर्म द्वारा बिड की धनराशि में सिम्मिलित की गयी है। फर्म द्वारा एस्क्रो अकाउण्ट में वांछित धनराशि न जमा किये जाने के कारण विगत बैठक दिनांक 02.02.2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार जल निगम द्वारा कटौती कर एस्क्रो अकाउण्ट में जमा किया जाना है।

5 उपरोक्त विषयों पर सम्यक विचार—विमर्श के उपरान्त बैठक में निम्नवत मत स्थिर किये गये है:

(1) वन-सिटी वन-आपरेटर के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० व इससे जुड़े मेन पिमांग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पिमांग स्टेशन, सीवरेज पिमांग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रांस्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (पैकेज-4 लखनऊ जोन, पैकेज-6 आगरा जोन, पैकेज-8 गाजियाबाद जोन, पैकेज-5 गोरखपुर जोन) के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु प्रोटोकाल तैयार किया जाये जिससे फर्म द्वारा किये जा रहे कार्य एवं प्रदान की गयी सेवाओं की परफारमेंस एवं ट्रीटेड इफ्लूएण्ट की क्वांटिटी एवं क्वालिटी सुनिश्चित की जाये। एस०टी०पी० व इससे जुड़े मेन पिमांग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पिमांग स्टेशन, सीवरेज पिमांग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये महाप्रबंधक-जल निगम एवं महाप्रबन्धक-जल निगम एवं सीवरेज नेटवर्क के लिये सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारीद्वारा फर्मों द्वारा किये गये कार्य एवं प्रदान की गयी सेवाओं की मासिक समीक्षा बैठक की जाये।

(कार्यवाही: संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित अधिशासी अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (ओ०एम०एण्डएम० सेल)नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ/संबंधित मुख्य अभियंता जल निगम/महाप्रबन्धक जल निगम)

(II) वन-सिटी वन-आपरेटर के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० के संचालन एवं रखरखाव के लिये धनराशि आवंटन हेतु गठित सिनित की भांति वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के रखरखाव एवं संचालन के लिये भी धनराशि आवंटन हेतु सिनित गठित की जाय एवं वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के रखरखाव एवं संचालन हेतु नीति/प्रोटोकाल बनाया जाये।

(कार्यवाही: प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ / मुख्य अभियंता (गंगा) / वित्त नियंत्रक उ०प्र० जल निगम / नगर विकास अनुभाग—05)

(III) वन—सिटी वन—आपरेटर के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित एस0टी0पी0 इत्यादि के रख—रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (पैकेज—4 लखनऊ जोन, पैकेज—6 आगरा जोन, पैकेज—8 गाजियाबाद जोन, पैकेज—5 गोरखपुर जोन) के अनुबन्ध के अंतर्गत मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति हेतु अधिकारों के विकेन्द्रीकरण को ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही: प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ / विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-4/5/9 सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ)

अन्त में धन्यवाद् ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(संजय कुमार सिंह यादव) विशेष सचिव। न्धन(1)/नी-9-2021-89 जि/2001 TC-1 दिनोक -18 मर्ड ,2021 संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र जल निगम, लखनऊ।
- 2- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- मुख्य अभियंता, ओ०एम०एण्डएम० सेल, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 4- संबंधित नगर आयुक्त / संबंधित अधिशासी अधिकारी, उ०प्र०।
- 5- संबंधित मुख्य अभियंता / महाप्रबन्धक जल निगम, उ०प्र०।
- 6- वित्त नियंत्रक उ०प्र० जल निगम लखनऊ।
- 7- संहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।

(संजय कुमार सिंह यादव) विशेष सचिव,

विनातंवा : 28.03.2021

उपस्थिति पंजिका

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या—504 / नौ—5—2020—394सा / 2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित सिमित की बैठक प्रमुख सिचय, नगर विकास, की अध्यक्षता में दिनांक 28 मार्च, 2021 को 12:00 बजे मध्याह बापू मदन अष्टम तल में आहूत की गयी है। प्रतिमाग करने वाले अधिकारियों का विवरण निम्मयत् है :—

क्र0सं0	नाम	पदनाम/विमाग	मोबाईल नं0 /ई-मेल	इस्ताक्षर
1,	श्री रजनीश दुवे	अपर प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ		
2.	श्री अनिल कुमार	प्रवन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनक	84,000	7
3.	श्रीमती एश्मि सिंह	प्रभारी निदेशक नगरीय निकाय	8004922722	A TO
4.	श्री आशीष तियारी	निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण योर्ड		for January
5	श्री आर० के० चौधरी	मुख्य अभियन्ता ओएमएण्डएम् सेल, नगरीय निकाक	9335736261	Fich.
6.	श्री उपेन्द्र तिवारी	सहायक निदेशक लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।	943534244	05
7.	VATECY WARRY	Mohomed Chippi	9240379678	81.
8.	Rmathpal	sue3	680001:5553	at.
9.	Soziceth sigh		9930997362	dial
10.	AKATLESHI		8010180107	d Du
11.	T. Hovees		8517810666 (To No
12.		EE Directoraly	7011877958	CA COM
13.				'
14.				300 VAG
15.	नं विकास के का	ege errollen ere in me	10831-1281-128	
16.				
17.	Carlo erro finan			
18.			and the factor of the factor o	
19,	1			
20				